

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2016—आश्विन 7, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 22-एफ-4-85-2016-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में,

(एक) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जाएगा.

(दो) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(5) चयन समिति, प्रतियोगिता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से दुगनी होगी. यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी.”

Not. No. 22/F-4-85-2016-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Appointment and Service Conditions for Officers and Servants) Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in rule 8,—

(i) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) The candidates shall be selected through competitive examination by the appointing authority.

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(5) The selection committee shall prepare a list of candidates on the basis of the marks obtained in the competitive examination and in such list the number of candidates shall be two times of the number of vacant posts. This selection list shall be submitted to the appointing authority.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 23-एफ-4-85-2016-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

11-रिक्त स्थानों की सूचना—आदर्श कार्मिक संरचना के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की गणना करने के पश्चात् मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए प्रस्ताव प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेगा. प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इसे संभागीय संयुक्त संचालक को अग्रेषित करेगी. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण करने के पश्चात्, उसे आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अग्रेषित करेगा तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा सीधी भर्ती हेतु मांग पत्र प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को प्रेषित किया जाएगा. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड चयन सूची, आयुक्त को उपलब्ध कराएगा. जिला चयन समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक को सूची उपलब्ध कराकर अपेक्षित प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Not. No. 23-F-4-85-2016-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipal Employees (Recruitment and Service Conditions) Rules, 1968, namely:

AMENDMENT

In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:—

“11. Notice of vacant posts.- The Chief Municipal Officer after calculating the vacant post to be filled by direct recruitment on the basis of model setup, shall submit the proposal before President-in-Council for the recruitment of post by competitive examination through Professional Examination Board. The President-in-Council after consideration the proposal, shall forward it to the Divisional Joint Director. The Divisional Joint Director after examining the proposal, shall forward the same to the Commissioner, Urban Administration and Development Department and the Commissioner, shall send a demand letter to the Professional Examination Board in this regard. The Professional Examination Board provide a select list to the Commissioner. The required process shall be completed by the district selection committee by providing the list to the divisional Joint Director.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.